

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

द/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
/22	212 RTA	कलमण्डा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रहलाद	बनाम	बद्रीलाल वगै०	
वकील :-	आदेश पत्रक	वकील:-	
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

20.12.2022

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.02.2023 को पेश हो।

7-2-23

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उपा०/अजर्जी की तलवी हेतु तलवाना पेश की। पत्रावली का तलवी दिनांक 28-3-23 को पेश है।

28-3-23

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उपा०/अजर्जी की तलवी हेतु तलवाना पेश की। पत्रावली का तलवी दिनांक 2-5-23 को पेश है।

2-5-23

गैरासीन अधिकारी अनुरा को पेश के लिए में रहने से पूर्ववत दिनांक 15-6-23 को प्रस्तुत की।

13-6-23

गैरासीन अधिकारी अनुरा को पेश के लिए में रहने से पूर्ववत दिनांक 25-7-23 को प्रस्तुत की।

25-7-23

गैरासीन अधिकारी अनुरा को पेश के लिए में रहने से पूर्ववत दिनांक 19-9-23 को प्रस्तुत की।

19-9-23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील जर्जी उपा०/अजर्जी की तलवी हेतु तलवाना पेश की। पत्रावली का तलवी दिनांक 3-11-23 को पेश है।

22/10/24 फावली पेशा 52। वकील प्रार्थी अथ। अज्ञाती की हकी ईदु रखणा पेशा को। पतावली वारे हकी प्रिण्ड 18/12/24 के पेशा थे।

18-12-24

पत्रावली सेवा हुंकी वकील प्रार्थी व ~~वकील~~ प्रार्थी उक्त वकील वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी के हीन वार सामाजिक कर्मगारि गरी। गायजूद सूचना के वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी न्यायालय के उक्त वकील। अतः अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त हाजरी अदम पीठ की के वकील विद्या जागा के पत्रावली के तत्काल सुनाए होकर बाद तारीख तारीख के वकील वफात है।